<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/एलआर/1812/2006/सवाईमाधोपुर</u>

घनश्याम पुत्र लख्मण जाति नाई निवासी घुडासी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 बद्री पुत्र गिरधारी (फौत) जरिये वारिसान
1/1 मुं0 चतरी बेवा बद्री
1/2 रतनलाल पुत्र बद्री
1/3 चंदन पुत्र बद्री समस्त जाति मीणा
2 गिर्राज पुत्र गिरधारी (फौत) जरिये वारिसान
2/1 रामजीलाल पुत्र गिर्राज जाति मीणा
3 लट्टूलाल पुत्र गिरधारी जाति मीणा (फौत) जरिये वारिसान
3/1 धनपाल पुत्र लट्टूलाल
3/2 सुरेश पुत्र लट्टूलाल जाति मीणा
4 जयराम पुत्र गिरधारी जाति मीणा सभी निवासी घुडासी
5 आवंटन सलाहकार समिति जहरये उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सवाई माधोपुर

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री वी.पी.सिंह वकील अपीलार्थी
श्री राजेश गौतम वकील प्रत्यर्थीगण
श्री सुनिल पारीक उप राजकीय अभिभाषक

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः 19.7.2018</u>

यह द्वितीय अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 60/05 में पारित निर्णय दिनांक 27.2.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा ग्राम घुडासी की आराजी खसरा नम्बर 234 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 6.11.1975 को आवंटी अपीलार्थी को किया गया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण वर्तमान प्रत्यर्थीगण ने राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 2.8.2004 को जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 29.3.2005 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आवंटन निरस्त कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 27.2.2006 से खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन वर्ष 1975 में किया गया था जिसे निरस्त कराने हेतु वर्ष 2004 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। लगलग 30 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया था। वक्त आवंटन अपीलार्थी बालिग था। इसकी पुष्टि हेतु परिवार कार्ड प्रस्तुत किया गया है। आवंटन के बाद से आवंटी द्वारा काश्त की गई है एवं कुछ वर्षो में वर्षात नहीं होने से काश्त नहीं होने के आधार पर आवंटन नियमों की पालना नहीं किया जाना नहीं माना जा सकता। आवंटन को 30 वर्ष होने व खातेदारी मिलने के पश्चात निरस्त किया जाना न्याय का हनन ही है। आवंटन तथ्यों को छीपाकर अथवा धोखे से प्राप्त नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि पहले मनमुटाव के कारण प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु अब अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है एवं प्रत्यर्थीगण ने आवंटन बहाल रखने जाने का निवेदन किया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है एवं अब कोई विवाद नहीं है। जिससे यदि अपीलार्थी का आवंटन बहाल रखा जाता है तो प्रत्यर्थीगण को कोई आपति नहीं है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आवंटी अपीलार्थी आवंटन के समय नाबालिग था तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है जिससे आवंटन निरस्त किया गया है जो उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों ने आवंटी अपीलार्थी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं किया जाना तथा विवादित भूमि चारागाह होना मानकर आवंटन निरस्ती का आदेश दिया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटन दिनांक 6.11. 1975 को किया गया है। आवंटन हेतु आवंटी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट की है जिसमें आवंटी की उम्र 21 वर्ष अंकित की है। आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया है तथा आवंटन के बाद आवंटी को कब्जा सौंपा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा तथ्यों को छीपाकर अथवा धोखे से आवंटन नहीं कराया गया है। प्रत्यर्थीगण का भी ऐसा कोई आक्षेप नहीं रहा है। प्रत्यर्थीगण ने यह आक्षेप अवश्य लिया था कि आवंटन के समय आवंटी नाबालिग था परन्तु उनके द्वारा इसकी पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि आवंटन आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का ने आवंटी की उम्र 21 वर्ष होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में आवंटन के समय आवंटी को नाबालिग नहीं माना जा सकता।

राज्य सरकार की ओर से इस आवंटन को चुनौतिग्रस्त आवंटन नियमों के नियम 14(4) के प्रार्थना पत्र द्वारा नहीं किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन तथ्यों को छीपाकर अथवा धोखे से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन के लगभग 30 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार मिलने के उपरान्त आवंटन निरस्ती हेतु आवंटन नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र किसी निजी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऐसे अनेक मामलों में 15 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त किया जाना ट्रवेस्टी आफ जस्टिस माना है। वर्तमान में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य आपसी राजीनामा भी हो गया है का कथन आया है। आवंटन होने के पश्चात खातेदारी देते समय उत्तरदायी कार्मिकों द्वारा जांच कर उचित होने पर खातेदारी दी जाती है। इस तरह से आपसी रंजिश से आवंटन निरस्त का कथन तथा पश्चात में राजीनामा कर आवंटन बहाल करने का कथन को आधार मानकर प्रस्तुत प्रकरण में खातेदारी को निरस्त करने वाला आवंटन आदेश निरस्तीकरण आदेश उचित नही है। ऐसे प्रकरण आवंटियों से निजी रंजिश एवं पश्चात में राजीनामा के बदलते कथन के भरोसे रखना उन्हें उनकी विचलित एवं क्षण परिवर्तित सदेच्छा एवं दया पर रखना होगा जो न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। इस तथ्य पर ध्यान नहीं देकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भूल की है। उनके निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 27.2.2006 तथा जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 29.3.2005 निरस्त किये जाते हैं तथा आवंटी अपीलार्थी का आवंटन दिनांक 6.11.75 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य